अत्यन्त महत्वपूर्ण
समय–सीमा

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल–462004

क्रमांक– 1394 / 1212 / आउशि / बजट / 09 भोपाल, दिनांक– 14.09.2009

प्रति,

1.समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा,
भोपाल ।

2.समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / रीवा / जबलपुर
मध्यप्रदेश ।

3.समस्त प्राचार्य,
चिन्हित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश ।

विषय–मांग संख्या–44–41, एवं मांग संख्या–64 उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा के बजट अनुमान वर्ष 2009–10 आयोजनेतर/आयोजना /आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/ अनुसूचित जाति उपयोजना के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2010–11 बजट अनुमान बनाने एवं तत्काल समय सीमा में उपलब्ध कराने हेतु ।

संदर्भ–**वित्त विभाग, म0प्र0 शासन द्वारा प्रेषित मुद्रा साफ्टवेयर 2010–11**

xxx

विषय संदर्भ में आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान एवं गत वर्ष (विभागीय लेखा) अर्थात 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2009 तक पूरे 12 माह तक के वास्तविक व्ययों के मदवार आंकड़े वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई मुद्रा सी.डी. में,तैयार कर प्रस्ताव समय सीमा में उपलब्ध कराये जाना हैं ।

2. शासकीय अग्रणी महाविद्यालय अपने अधीन आने वाले समस्त शासकीय महाविद्यालय जो कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी है, विभागीय वेबसाइट **(www.mp.gov.in/Highereducationmp)** से डाउनलोड कर Installation के उपरान्त साफ्टवेयर की सहायता से डाटा पूर्णतः भरकर उसका बेकअप अधिकृत **E-mail** से **Backup File Compress** करके बजट शाखा के **E-mail (chebudget@mp.gov.in)** पर तथा सीडी / पेनड्राइव में व हार्ड प्रति के साथ बजट नियंत्रण अधिकारी कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से अधिकतम **दिनांक 22.09.2009 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें इसमें किसी प्रकार का विलम्ब व अपूर्ण जानकारी मान्य नहीं होगी ।**

3. चूंकि वित्त विभाग द्वारा एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की गई है जिसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को संकलित बजट अनुमान की जानकारी उपलब्ध कराई जाना है । अतः निर्धारित अंतिम तिथि पूर्व यह कार्य पूर्ण कर /करवाकर भेजे । यह सम्पूर्ण उत्तरदायित्व / जवाबदारी संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा, कृपया प्राथमिकता पर यह कार्य सुनिश्चित करें ।

4. आंकड़े तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु राशि की मांग की जाए अनावश्यक बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े दर्ज न किए जाए। **सर्वविदित हे कि वित्त विभाग व कोषालय पूर्णतः कम्प्यूअरीकृत है।**

5. कार्य निष्पादन हेतु वेबसाइट से एक प्रिन्ट आउट निकालकर पत्रक का अवलोकन करें तथा इसमें वर्गीकृत उपशीर्षो के आधार पर ही प्रविष्टियॉ करें तथा निम्न बिन्दुओं का भी पालन करें :–

(अ) मुद्रा साफ्टवेयर में प्रविष्टियों के आधार पर ही बजट का संकलन होगा यदि जिले के अन्य महाविद्यालय / आहरण एवं संवितरण अधिकारी के बजट को सम्मिलित करना हो तो मुद्रा साफ्टवेयर के Change District or DDO Option से उपरोक्त महाविद्यालय / आहरण एवं संवितरण अधिकारी चुनाव कर आंकड़ों की प्रविष्टियॉ करें ।

(ब) उपरोक्तानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों / महाविद्यालयों के बजट की प्रविष्टियॉ संधारित होने के पश्चात् उसका प्रिन्ट आउट लेकर परीक्षण कर त्रुटि हो तो उसमें सुधार कर लें । इसके पश्चात् ही सीडी/पेनड्राइव हार्डकापी के साथ भेजना है ।

(स) बेकअप लेने हेतु जिस महाविद्यालय का चुनाव किया गया है फ्लॉपी में उसी महाविद्यालय का बेकअप लिया जा सकेगा । अन्य महाविद्यालय का बेकअप लेने के पूर्व उस महाविद्यालय का चुनाव करना आवश्यक है ।

7. जानकारी में पदों की प्रविष्टि , वेतनमान की प्रविष्टि, कार्यालय में उपलब्ध दूरभाष, तथा वाहन,पी.डी.खाता,बैंक खाता, की प्रविष्टी किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बजट प्रस्ताव की पृविष्टियॉ नहीं हो सकेगी । <u>पदों की पृविष्ट हेतु प्रदर्शित मीनू से पद, श्रेणी को चुनकर दिनांक 31.3.09 की स्थिति में स्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या दर्ज करें । यदि पदनाम, वेतनमान् में किसी प्रकार की विसंगति परिलक्षित होती है, तो रिमार्क में इसका उल्लेख करें ।</u>

8. प्रपत्र में भत्तों का वर्गीकरण विशिष्टतः अलग–अलग किया गया है । अतः बजट मांग भी जिस भत्ते के लिये है, उसी में अंकित करें । इसी प्रकार बजट के अन्य मुख्य शीर्षो के नीचे दिये गये उपशीर्षो का भी बारीकी से अध्ययन करे और उपशीर्षवार ही मांग की जानकारी दी जावे । जिस योजना में आगामी वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय को बजट आवंटन की आवश्यकता है, उसमें प्रविष्टी कर प्रस्तुत करें ।

9. प्रत्येक आहरण / संवितरण अधिकारी प्राप्तियों की भी प्रविष्टियॉ मदवार वर्गीकृत कर सी.डी. में प्रविष्टि करावें ।

.10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि बजट तैयार करते समय यदि मुद्रा साफ्टवेयर से संबंधित कोई असुविधा होती है तो उसके लिए निकटतम कोषालय अधिकारी / राष्ट्रीय सूचना प्रशिक्षण केन्द्र (NIC) कलेक्टर कार्यालय से संपर्क कर समस्या का समाधान करें ।

हस्ताक्षर

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश